न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 46/2018
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00390

अपीलाण्ट :–
जसवन्तसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत, निवासी– साकदडा, तहसील व जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. स्व. पवन कंवर पत्नी श्री सोहनसिंह जाति राजपूत के विधिक वारिसान :–
1/1. हड़मतसिंह पुत्र श्री स्व. पवन कंवर, स्व. पति सोहनसिंह
1/2. मूलसिह पुत्र श्री स्व. पवन कंवर, स्व. पति सोहनसिंह
1/3. मनोहरसिंह पुत्र श्री स्व. पवन कंवर, स्व. पति सोहनसिंह, तमाम जाति गण – राजपूत, निवासी गण – खटुकडा, तहसील रानी, जिला पाली।
1/4. पुष्पा पुत्री श्री स्व. पवन कंवर, पत्नी सुमेर सिंह, जाति– राजपूत, निवासी – मेवी खुर्द, तहसील देसूरी, जिला पाली।
1/5. अलिया श्री स्व. पवन कंवर, पत्नी जसवंतसिंह, जाति राजपुत, निवासी – सरथुर, तहसील देसूरी, जिला पाली।
1/6. प्रकाश पुत्री श्री स्व. पवन कंवर, पत्नी हडमतसिंह, जाति – राजपूत, निवासी – मेवी खुर्द, तहसील देसूरी, जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
रेस्पो. संख्या 1/3 लगायत रेस्पो. संख्या 1/6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ओड़

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **26.05.2025**

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली के पत्रावली संख्या 62/15 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित एवं रेस्पो. संख्या 1/3 से रेस्पो. संख्या 1/6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ओड़ वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल न्यायालय समय में बार–बार

आवाजे दिलाये जाने पर वक्त बहस अनुपस्थित आये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील–मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया जो न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 31/2017 बअनवान पवन कंवर बनाम रेस्पो. जसवन्तसिंह के निर्णय दिनांक 15.06.2015 की अवमानना करते हुए पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट, अमरसिंह का लड़का है और रेस्पोडेण्ट सरदारसिंह की लड़की है। चूंकि सरदारसिंह के पुत्र नहीं होने से अपीलाण्ट के भाई राजूसिंह को गोद लिया है, इसलिए राजूसिंह के नाम सरदारसिंह जी की सम्पति दर्ज है। इसलिये जो भी हक अधिकार पवनकंवर के अधीनस्थ न्यायालय को तय करना था तो राजूसिंह को तलब करना था व अपीलाण्ट को भी सुनवाई हेतु नोटिस देना था व पवन कंवर को भी नोटिस देकर साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका देकर इस प्रकरण का निस्तारण करना था लेकिन केम्प में न तो अपीलाण्ट को नोटिस दिया है न ही अपीलाण्ट के अधिवक्ता को, इसलिए जैर अपीलाधीन विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट वास्तव में अमरसिंह का लड़का है और अपीलाण्ट के भाई राजूसिंह ने राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट को गोदी पुत्र बताकर अमरसिंह के कृषि भूमि में भी नाम हटवा दिया और यहां भी पवन कंवर से मिलकर अपीलाण्ट का नाम हटाने की नाजायज चेष्टा की है जो कानूनी तौर पर गलत है। अगर अपीलाण्ट को सरदारसिंह जी के गोद जाना बताया है हालांकि ऐसा नहीं है अगर है तो भी पवन कंवर के साथ सरदारसिंह के हिस्से की जमीन में अपीलाण्ट का आधा हिस्सा दर्ज होना चाहिए अर्थात् पवन कंवर व जसवंतसिंह का बहिस्सा बराबर होना चाहिए लेकिन यहां तो अपीलाण्ट को सम्पूर्ण खातेदारी से नाम हटाकर अकेली वारिश पवन कंवर को बताया है जो सरासर गलत है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध, कूटरचित एवं फर्जी होने से सव्यय खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट, रेस्पो. पवन कंवर के पिता सरदारसिंह की भूमि में अपने आप को सरदारसिंह का गोदी पुत्र होना बताते हुए सरदारसिंह की भूमि में अपना हिस्सा चाहता है जबकि अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी अपील मीमों के पद संख्या 04, पद संख्या 05 व पद संख्या 06 में स्वयं को अमरसिंह का पुत्र होना अवगत करवाया है। जैर अपीलाधीन आदेश, अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य बाबत् पर्याप्त अवसर दिये जाकर विधि अनुसार ही पारित किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट्स द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में उभयपक्ष की श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया साथ ही अपीलाण्ट ने स्वयं को सरदारसिंह का गोदी पुत्र होना अवगत करवाया जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. पवन कंवर को ही एकमात्र सरदारसिंह का वारिश होना बताकर सरदार सिंह की खातेदारी भूमि में हक हिस्से निहित किया। विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त उज्रों के विरोध में अवगत करवाया कि अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी अपील मीमों के पद संख्या 04, पद संख्या 05 व पद संख्या 06 में स्वयं को अमरसिंह का पुत्र होना अवगत करवाया है। साथ ही विपक्षी अधिवक्ता का

मुख्य उज्र यह था कि अधिवक्ता अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 05.10.2015 को ही प्रस्तुत हो गये थे एवं जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2018 को पारित किया गया अर्थात् लगभग 2.5 वर्ष बाद पारित किया गया जिससे जैर अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देकर पारित किया गया।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.10.2015 को प्रस्तुत हो गये थे एवं जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2018 को पारित किया गया। जिससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य बाबत् पर्याप्त अवसर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने स्वयं को को वक्त बहस सरदार सिंह का गोदी पुत्र होना अवगत करवाता है तथा कथन करता है कि मृतक सरदार सिंह की खातेदारी भूमि में मात्र रेस्पो. पवन कंवर को ही एकमात्र वारिश मानकर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है परन्तु अपीलाण्ट द्वारा अपने ही अपील मीमों के पद संख्या 04, पद संख्या 05 व पद संख्या 06 में स्वयं को अमरसिंह का पुत्र होना अवगत करवाया है एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट को न्यायालय हाजा द्वारा वक्त बहस निर्णय दिनांक तक अपने आप को सरदारसिंह का पुत्र होना सिद्ध करने बाबत् निर्देशित किया परन्तु आज निर्णय दिनांक तक अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलाण्ट मृतक सरदारसिंह का गोदीपुत्र है।

लिहाजा हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.06.2018 में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतएव अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **26.05.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली